राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ जयपुर, दिनांक : 20 OCT 2011

सचिव,
<u>जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।</u>

सचिव,
<u>जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।</u>

सचिव,
नगर विकास न्यास,
कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/भीलवाडा/भरतपुर
अलवर/भिवाडी/गंगानगर/जैसलमेर/माउन्ट आबू।

विषय :— नगरीय विकास विभाग द्वारा empanelled "Dedicated Consultants" के माध्यम से जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासो व अन्य नगरीय निकायों में नगर नियोजको की विशेषज्ञ सेवाऐं लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10 (228)/नविवि/3/10 दिनांक 21.09.2011 द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, विभिन्न नगर विकास न्यासों व नगरीय निकायो में विभिन्न सेवाओ हेतु Dedicated Consultants को empanel किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.2(10) नविवि/II/09/पार्ट दिनांक 25.02.2011 द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, अलवर, अजमेर, भिवाड़ी, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाडा, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, एवं माउन्ट आबू, नगर निगम, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, व नगर परिषद, उदयपुर, सीकर आदि में नगर नियोजन सम्बन्धी कार्यो हेतु तकनीकी सहायको की संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी जिनकी 6 माह की संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है तथा वित्त विभाग के आदेशानुसार संविदा पर सीधी नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है एवं एजेन्सी के माध्यम से जोब बेसिस पर सेवाऐ लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

राज्य सरकार द्वारा empanelled किये गये "Dedicated Consultants" द्वारा नगरीय निकायो को दी जाने वाली सेवाओ में नगर नियोजन संम्बन्धी सेवाऐ भी सम्मिलित है तथा राज्य सरकार द्वारा Dedicated Consultants को empanelment हेतु जारी Expression of Interest मूलतया नगरीय निकायो को दिन प्रतिदिन की तकनीकी सेवाऐ प्रदान किये जाने हेतु ही आमंत्रित किया गया था जिसमें न्यूनतम एक Urban Planner /Architect, एक Civil Engineer व Autocad Draftsman उपलब्ध कराने का प्रावधान था, तथापि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2011 द्वारा Dedicated Consultants के माध्यम से विभिन्न सेवाऐ लिये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें जोब बेसिस पर विभिन्न कार्यो की दरें निर्धारित की गयी है।

अतः राज्य सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त तकनीकी सहायको की संविदा अवधि समाप्त होने के कारण नगर नियोजन सम्बन्धी कार्यो के निष्पादन में हो रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुऐ राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों हेतु empanel किये गये Dedicated Consultants के माध्यम से नगर नियोजको की सेवाये संविदा आधार पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। इन Dedicated Consultants द्वारा यह सेवाऐ राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.02.2011 में स्वीकृत किये अनुसार B.Arch. की योग्यता धारी व्यक्ति को 17,000/– प्रतिमाह एवं Urban /Regional Planning में स्नातकोत्तर योग्यता धारी व्यक्ति को 20,000/– प्रतिमाह राशि देय होगा। उक्त राशि में 7.5 प्रतिशत कन्सलटेन्सी राशि + Service Tax अतिरिक्त देय होगा। उक्त राशि सम्बन्धित ULBs / UITs / Development Authorities द्वारा वहन की जावेगी।

नगर नियोजको द्वारा नगर निकायो को निम्न सेवाऐ प्रदान की जावेगी।

1. नगर निकायो की विभिन्न योजनाओ के ले आउट प्लान तैयार करना व नगर नियोजन विभाग से अनुमोदन ।
2. नगर निकायो को भवन मानचित्र अनुमोदन, निर्माण नियमन व नगर नियोजन संबंधि अन्य तकनीकी कार्य हेतु सहायता प्रदान करना।
3. नगरीय निकायो को विभिन्न प्रयोजनार्थ स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना व नगर नियोजन मानदण्डो के अनुरूप राय प्रदान करना आदि।

नगर नियोजकों का चयन मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उनके तकनीकी मार्गदर्शन में किया जायेगा।

उक्त नगर नियोजन विशेषज्ञों द्वारा तकनिकी राय नगरीय निकायो की नोट शीट (पत्रावली) पर नहीं दी जाकर पृथक से नोट तैयांर कर दीं जावेगीं जो कि नियुक्त विशेषज्ञ से हस्ताक्षर पश्चात पत्रावली में संलग्न की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार विभिन्न नगरीय निकायो द्वारा उनके निकाय हेतु empanel किये गये Dedicated Consultants के माध्यम से आवश्यकतानुसार नगर नियोजक विशेषज्ञो की सेवाये ली जा सकेगी।

उक्त निर्णय माननीय मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित है।

उप शासन सचिव–तृतीय,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ जयपुर, दिनांक : 20 OCT 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)।
7. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति समस्त नगरीय निकायों को पृष्ठांकित कराने का श्रम करें।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
11. निदेशक (आयोजना), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. निदेशक (प्रोजेक्टस), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
15. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ., जयपुर।
16. मुख्य प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
17. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
20. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
21. मुख्य अभियन्ता (मु0), नगरीय विकास विभाग, नगर विकास न्यास, कोटा।
22. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

उप शासन सचिव–तृतीय,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग